कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 165/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

☐ शादी समारोह में चाकूबाजी कांड का खुलासा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

☐ कूलर की हवा को लेकर हुए विवाद में हत्या व मारपीट की घटना, मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई जारी

आजमगढ़। जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में चाकूबाजी व हत्या की घटना के मामले में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 29.04.2026 को वादी राजेश निषाद पुत्र पशुराम निषाद निवासी बेलसड़ी, बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 28.04.2026 की रात्रि कस्बा अजमतगढ़ में बारात/शादी समारोह के दौरान कूलर की हवा की दिशा को लेकर विवाद हुआ, जिसमें नीरज निषाद सहित 09 नामजद अभियुक्तों द्वारा मारपीट व चाकूबाजी की गई। घटना में चाकू लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 195/2026 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/109/103 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पूर्व में दिनांक 29/30.04.2026 को मुख्य अभियुक्त नीरज निषाद को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 01.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त महेश निषाद, पवन निषाद एवं भीम निषाद को मुबारकपुर तिराहे के पास से समय करीब 12:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. महेश निषाद पुत्र तिर्थराज निषाद निवासी इन्दिरानगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष
2. पवन निषाद पुत्र गुलाब निषाद निवासी इन्दिरानगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 18 वर्ष
3. भीम निषाद पुत्र रामआसरे निषाद निवासी इन्दिरानगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 195/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/118(1)/109/103 बीएनएस, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 विनय कुमार सिंह
2. उ0नि0 अजय यादव (चौकी प्रभारी अजमतगढ़)
3. का0 बुटाई साह
4. का0 अवधेश कुशवाहा
5. का0 शैलेश कुमार यादव
6. का0 विन्द्रेश कुमार गौड थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- रौनापार, जनपद आजमगढ़

□ नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म प्रकरण में 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

□ पुलिस की कार्रवाई में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पूर्व में अन्य अभियुक्त भेजे जा चुके हैं जेल

आजमगढ़। जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त प्रकरण में वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 275/2025 धारा 123, 137(2), 127(2), 64, 352, 351(3), 61(2) बीएनएस व 3/4(2) पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी एवं बयान के आधार पर धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 87/143 बीएनएस व 5(ठ)/6 पास्को एक्ट की वृद्धि की गई तथा 3/4(2) पास्को एक्ट का लोप किया गया। वर्तमान में मुकदमे की विवेचना उपरोक्त धाराओं में प्रचलित है।

इससे पूर्व अभियुक्ता शिल्पा एवं अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 01.05.2026 को व0उ0नि0 रामअनुज शुक्ला मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता सुधा पत्नी शैलेश यादव उम्र 21 वर्ष तथा अभियुक्त शैलेष यादव पुत्र जोखन उम्र 25 वर्ष निवासीगण अजगरा मसर्की थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम खरैलिया ढाला से समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता को नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 275/25 धारा 123/137(2)/127(2)/64/352/351(3)/61(2)/87/143 बीएनएस व 5(ठ)/6 पास्को एक्ट, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता:-

1. सुधा पत्नी शैलेश यादव, उम्र 21 वर्ष
2. शैलेष यादव पुत्र जोखन, उम्र 25 वर्ष निवासीगण अजगरा मसर्की थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 रामअनुज शुक्ला
2. का0 अमरनाथ शर्मा
3. का0 मो0 जावेद
4. म0का0 प्रज्ञा यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

□ सड़क जाम कर आवागमन बाधित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

□ दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर किया गया था उग्र प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई

आजमगढ़। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहनगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। सड़क जाम कर आमजन के आवागमन को बाधित करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 25.04.2026 को खरिहानी-सिंहपुर रोड पर ग्राम सेर्रा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत आक्रोशित भीड़ द्वारा शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया तथा लाठी-डंडों के साथ नाजायज मुआवजे की मांग करते हुए आवागमन बाधित किया गया। पुलिस द्वारा समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु भीड़ नहीं मानी। स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया तथा मौके की वीडियोग्राफी कराकर जाम लगाने वालों की पहचान की गई। इस संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 135/26 धारा 285/126(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

विवेचना के क्रम में दिनांक 30.04.2026 को उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. किशन चौहान पुत्र चन्द्रमणि चौहान, 2. सत्यम चौहान पुत्र त्रिलोकी चौहान, 3. सूरत चौहान पुत्र शोभनाथ निवासीगण ग्राम सेर्रा

थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 17:00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. किशन चौहान पुत्र चन्द्रमणि चौहान
2. सत्यम चौहान पुत्र त्रिलोकी चौहान
3. सूरत चौहान पुत्र शोभनाथ

   निवासीगण ग्राम सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 135/26 धारा 285/126(2) बीएनएस, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीमः-

उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल मय हमराह का0 चन्दन राय थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

□ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ पुलिस की कार्रवाई, आरोपी को धर दबोचा गया

आजमगढ़। जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त प्रकरण में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 60/2026 धारा 137(2), 87, 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व 5L/6 पास्को एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

विवेचना के क्रम में दिनांक 01.05.2026 को उ0नि0 अजय निषाद मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम तरछा पुलिया के पास से वांछित अभियुक्त शैलेश राम पुत्र गणेश निवासी मेनुद्दीनपुर (बारीगांव) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष को समय करीब 08:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

शैलेश राम पुत्र गणेश निवासी मेनुद्दीनपुर (बारीगांव) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 60/2026 धारा 137(2), 87, 351(3), 352, 64(1) बीएनएस व 5L/6 पास्को एक्ट, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीमः-

उ0नि0 अजय निषाद

का0 शैलेश यादव

का0 रवि कन्नौजिया थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

□ मारपीट में वृद्ध की मृत्यु प्रकरण का खुलासा, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

□ पुलिस कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद

आजमगढ़। जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। मारपीट के दौरान वृद्ध की मृत्यु से संबंधित प्रकरण में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 28.04.2026 को वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 0157/26 धारा 115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त पवन कुमार द्वारा वादिनी एवं उसके ससुर के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई। उपचार के दौरान दिनांक 29.04.2026 को घायल वृद्ध रामसिंगार मिश्रा (उम्र 90 वर्ष) की मृत्यु हो जाने पर अभियोग में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गई।

विवेचना के क्रम में दिनांक 01.05.2026 को उ0नि0 जफर अयूब मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पवन कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी भेलाडाड़ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष को महादेवपुर अंडरपास के पास से समय करीब 05:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक डंडा ग्राम बिलारी स्थित ब्रह्मबाबा स्थान के पास झाड़ियों से बरामद किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

पवन कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी भेलाडाड़ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष

बरामदगीः-

➡ घटना में प्रयुक्त 01 डंडा

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 0157/26 धारा 115(2)/352/351(3)/117(2)/105 बीएनएस, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 जफर अयूब
2. हे0का0 सन्त कुमार
3. का0 धन्नू यादव
4. का0 सुरेन्द्र यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

एचएस/शातिर अपराधी अवैध तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दीदारगंज पुलिस की कार्रवाई, अभियुक्त के विरुद्ध कई संगीन मुकदमे दर्ज

आजमगढ़। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दीदारगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एचएस/शातिर अपराधी को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में दिनांक 30.04.2026 को चौकी प्रभारी मार्टीनगंज उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी ग्राम पिपरौला थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष को ग्राम पिपरौला से समय करीब 11:55 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

दीपक राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी पिपरौला थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगीः-

➡ 01 अदद तमंचा .315 बोर

➡ 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में हत्या, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगेस्टर एक्ट सहित कुल 11 अभियोग पंजीकृत हैं।

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1. 77/26 331(4)/305/62 बीएएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट दीदारगंज आजमगढ़
2. 004/19 201/302/394/411 भादवि दीदारगंज आजमगढ़
3. 99/19 3(1) यूपी गैगे0 एक्ट दीदारगंज आजमगढ़
4. 128/21 379 भादवि दीदारगंज आजमगढ़
5 140/21 379/411/414/420/467/468/471 भादवी दीदारगंज आजमगढ़
6 245/22 3/25 आर्मस एक्ट दीदारगंज आजमगढ़
7 226/22 120बी/406/411 भादवि अलीगंज अम्बेडकर नगर
8 345/22 3/25 आर्मस एक्ट जलालपुर अम्बेडकरनगर
9 127/24 379/411 भादवि बरदह दीदारगंज
10 299/24 317(2), 317(5), 318(4) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट बरदह दीदारगंज
11 595/25 111, 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2)bns कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह (चौकी प्रभारी मार्टीनगंज)
2. का0 इन्द्रेश दुबेका0 निशान्त त्रि**पा**ठी

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ मिशन शक्ति 5.0 के तहत "नई किरण" प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित, पारिवारिक विवाद में समझौता

☐ काउंसलिंग के माध्यम से दहेज उत्पीड़न प्रकरण में सुलह, बिखरे परिवार को जोड़ा गया

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.05.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/"नई किरण" में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 02 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को नोटिस/फोन के माध्यम से मिडिएशन हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें 01 पत्रावली में दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा ससुराल पक्ष व पति पर दहेज की मांग एवं शारीरिक/मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। काउंसलिंग टीम द्वारा दोनों पक्षों की एक साथ एवं अलग-अलग काउंसलिंग कर अथक प्रयासों के उपरांत आपसी सहमति से समझौता कराया गया तथा विधिवत विदाई कराई गई।

नई किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से बिखरे हुए परिवारों को पुनः जोड़ने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक सौहार्द स्थापित होने के साथ-साथ माननीय न्यायालयों के कार्यभार में भी कमी आएगी। शेष पत्रावली में दोनों पक्षों को अगली तिथि हेतु सूचित कर मिडिएशन कराया जाएगा।

इस पुनीत कार्य में काउंसलर उ0नि0 वरुणेश कुमार मिश्र (प्रभारी आर्थिक सहायता प्रकोष्ठ), आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

कुल समझौते – 01

1. चन्द्रिका राव पुत्री स्व0 मंत्री, ग्राम खानजहाँपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।